भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4975**
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

## पंचायतों में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली

**4975. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में 13325 ग्राम पंचायतों में से केवल 10600 ग्राम पंचायतें ही ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन नहीं करने वाली पंचायतों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में शेष पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) क्या 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों को निधियां प्रदान करने का कोई अधिदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

**(क) और (ख)** ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश की कुल 13,328 ग्राम पंचायतों में से 13,320 पंचायतें ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस पर सफलतापूर्वक शामिल हो चुकी हैं और इनमें से 12,990 पंचायतों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस इंटरफेस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान शुरू कर दिया है। शेष पंचायतें ई-ग्रामस्वराज पर शामिल होने के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान ई-ग्रामस्वराज के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायतों की जिले-वार शामिल होने की स्थिति इस प्रकार है:-

| क्र.सं. | जिला पंचायत एवं समकक्ष | ग्राम पंचायत एवं समकक्ष | शामिल ग्राम पंचायत (ईजीएस - पीएफएमएस) |
|---|---|---|---|
| 1 | अनंतपुर | 1044 | 1044 |
| 2 | चित्तूर | 1411 | 1411 |
| 3 | पूर्वी गोदावरी | 1102 | 1102 |
| 4 | गुंटूर | 1022 | 1020 |
| 5 | कृष्ण | 977 | 977 |
| 6 | कुरनूल | 973 | 973 |

| क्र.सं. | जिला पंचायत एवं समकक्ष | ग्राम पंचायत एवं समकक्ष | शामिल ग्राम पंचायत (ईजीएस - पीएफएमएस) |
|---|---|---|---|
| 7 | प्रकाशम | 1046 | 1044 |
| 8 | एसपीएसआर नेल्लोर | 941 | 941 |
| 9 | श्रीकाकुलम | 1181 | 1181 |
| 10 | विशाखापट्टनम | 969 | 969 |
| 11 | विजयनगरम | 960 | 957 |
| 12 | पश्चिम गोदावरी | 895 | 894 |
| 13 | वाई.एस.आर. | 807 | 807 |
| **कुल संख्या** | | **13328** | **13320** |

**(ग)** 15वें वित्त आयोग ने पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) अनुदान जारी करने के लिए ई-ग्रामस्वराज के उपयोग को एक शर्त के रूप में अनिवार्य किया है। मंत्रालय राज्यों को ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन को अपनाने के लिए वर्चुअल और फिजिकल प्रशिक्षण तथा सक्षम बनाने के माध्यम से लगातार राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठकें, कार्यशालाएँ, हैंड-होल्डिंग सत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस और राज्यों का दौरा किया जाता है। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) में भी इस परियोजना के कार्यान्वयन का समन्वय/सुविधा का प्रावधान है। सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ई-पंचायत एमएमपी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि, देश भर में पंचायतों की तत्परता के स्तर में भिन्नता के कारण, राज्य इन एप्लीकेशनों को लागू करने के अलग-अलग चरणों में हैं।

**(घ)** संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर 2023 को सोलहवें (16वें) वित्त आयोग का गठन किया गया है। सोलहवें (16वें) वित्त आयोग ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें नहीं सौंपी हैं।

***